राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1250/2025

गिर्राज प्रसाद मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, रेणी, जिला अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पंचायत समिति, तिजारा, जिला अलवर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को पंचायत समिति, तिजारा, जिला अलवर में स्थानान्तरित किया जाना दर्शाया गया है, जबकि पंचायत समिति, तिजारा, जिला अलवर में न होकर जिला खेरथल–तिजारा में है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना विवेक का प्रयोग किये किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की वर्तमान पंचायत समिति को सही दर्शाया गया है। केवलमात्र जिला खेरथल–तिजारा के स्थान पर अलवर दर्शाया गया है। पूर्व में पंचायत समिति, तिजारा अलवर जिले

में ही थी। खेरथल–तिजारा जिला नवगठित होने के पश्चात अब पंचायत समिति तिजारा नये जिले में आती है। इस कारण से अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में त्रुटिपूर्वक जिला गलत अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानान्तरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष